यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- पौड़ी (गढ़वाल) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- पौड़ी (गढ़वाल) के माह 12/2017 से 10/2018 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री एस.के. सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी; श्री संजय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री अनिल कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री एस.के. जौहरी, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में दिनांक 11.11.2018 से 26.11.2018 तक सम्पादित की गयी।

भाग-I

1). परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अनिल कुमार, व. लेखापरीक्षक एवं श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 14.12.2017 से 26.12.2017 तक श्री ए. सी. कटियार, व. लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 11/2016 से 11/2017 तक के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः विभाग का सृजन ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग के नाम से सन 1972 में हुआ। उत्तर प्रदेश से विभाजित उत्तराखण्ड राज्य में ग्राम्य विकास विभाग के विभिन्न विकास कार्यों के निर्माण कार्य का दायित्व विभाग को सौंपा गया है। विभागीय पुनर्गठन के पश्चात ग्रामीण निर्माण विभाग के नाम से विभाग वर्तमान में विभिन्न विभागों के आवासीय / अनावासीय भवनों का निर्माण, नाबार्ड के अन्तर्गत स्वीकृत विभिन्न ग्रामीण मोटर मार्गों का निर्माण, पर्यटन स्थलों का सौंदर्यीकरण, दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त योजनाओं के पुन:निर्माण एवं विभिन्न खेल मैदानों का निर्माण आदि कार्य जो सुदूर आँचलों में स्थित है, का निष्पादन करवाया जाता है।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वित्तीय वर्ष	स्थापना			गैर- स्थापना				
	आवंटन धनराशि	व्यय धनराशि	बचत	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	कुल प्राप्ति	व्यय	अवशेष
2015-16	275.65	195.63	80.02	1177.95	1406.42	2584.37	1337.64	1246.73
2016-17	195.54	195.14	00.40	1246.73	766.55	2013.28	1007.45	1005.83
2017-18	249.56	248.75	00.81	1005.83	1000.57	2006.40	726.37	1280.03
2018-19 (till 10.2018)	278.57	179.30	99.27	1280.03	291.16	1571.19	509.79	1061.40

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

(रु लाख में)

वर्ष	लागू नही	लागू नही	लागू नही
प्रारम्भिक शेष			
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ (क) केंद्रान्श (ख) राजयांश (ग) अन्य प्राप्तियाँ			
व्यय			
अंतिम शेष			

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष			---	---	---	---	---
प्रारम्भिक अवशेष		---	---	---	---	---	---
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	---		---	---	---	---	
	---		---	---	---	---	
	---		---	---	---	---	
कुल प्राप्तियाँ			---	---	---	---	---
वर्ष के दौरान कुल व्यय			---	---	---	---	---
अंतिम अवशेष			---	---	---	---	---

iii). विभिन्न विभागों से निक्षेप के रूप में प्राप्त धनराशि एवं राज्य सरकार द्वारा आवंटित धनराशि के व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई 'A' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

<u>तकनीकी संवर्ग 1).</u> मुख्य अभियंता (स्तर – 1), 2).मुख्य अभियंता (स्तर- 2), 3). अधीक्षण अभियंता (परिमण्डलवार), 4). अधिशासी अभियंता (प्रखण्डवार), 5). सहायक अभियन्ता, 6).कनिष्ठ अभियन्ता, 7).मानचित्रकार

<u>गैर-तकनीकी संवर्ग:</u> 1). वित्त नियंत्रक, 2). खंडीय लेखाकार / खंडीय लेखाधिकारी, 3). प्रशासनिक अधिकारी, 4). वैयक्तिक सहायक, 5). प्रधान सहायक, 6). वरिष्ठ सहायक, 7). कनिष्ठ सहायक, 8). अनुसेवक

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 12/2017 से 10/2018 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड-पौड़ी (गढ़वाल) के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयीI यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- पौड़ी (गढ़वाल) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 05/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया I प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

vi). खण्ड के भण्डार लेखों की अर्धवार्षिक लेखा बन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2017 स्टॉक रु. 77,280/- है तथा 09/2017 तक की गई।

vii). फार्म 51: माह 10/2018 तक कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित किया चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वीतीय के अवशेष निम्नवत है:- (धनराशि रु में)

भाग प्रथम रु. 1,54,163,51/-

भाग द्वीतीय रु 4,95,602/-

viii). खण्ड के उचंत लेखों के अवशेष माह 09/2018 के अन्त में (धनराशि रु में)

क). प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम रु 12,20,564/-

ख). सामग्री क्रय रु शून्य

ग). नकद परिशोधन रु शून्य

घ). निक्षेप रु 10,61,40,528/-

ड़). भण्डार रु शून्य

भाग- 2ब

प्रस्तर-01: Delegation of Power द्वारा निर्धारित वित्तीय सीमा (रु40.00 लाख) का उल्लंघन कर ठेकेदार/फर्मों को (रु 1.00 करोड़) अदेय लाभ पहुँचाना।

अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पौड़ी के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि निर्माण कार्यों के अन्तर्गत प्रथम प्रकरण में, शासनादेश संख्या: 45/XII-2/2015/02(04)/2015 दिनाँक 17 मार्च 2015 द्वारा बड़ोली बिंजोली से चमेली मोटर मार्ग (ल.-2.40 किमी.) के निर्माण हेतु प्राक्कलन लागत रु360.10 लाख के सापेक्ष रु.222.05 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। दूसरे प्रकरण में, विकासखंड पौड़ी मे पौड़ी कलेश्वर मोटर मार्ग पर ल्वाली बाज़ार से ल्वाली निगयाना तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लंबाई 2.30 किमी) रु213.49 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमे से प्रथम चरण के कार्यों हेतु अधीक्षण अभियंता, पौड़ी द्वारा रु.141.36 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

No authority can enter into agreement(s) into which he is not empowered under prescribed "Delegation of Financial Powers" by the State Government and the financial rules infringed under Para-368 and 369 of the FHB (Vol-6).

The Rule-369 provides that 'No individual contractor may receive second contract in connection with the same work or estimate while the first is still in force, if the total sum of his contracts exceeds the powers of acceptance of the authority concerned'.

लेखापरीक्षा में पाया गया कि खण्ड द्वारा उक्त कार्य हेतु गठित 06 अनुबन्धों मे से 03 अनुबन्धों में उपरोक्त वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों का अनुपालन नहीं किया गया। Delegation of Power द्वारा अधिशासी अभियंता हेतु निर्धारित सीमा (₹ 40.00 लाख) और FHB Vol- VI के प्रस्तर -369 के प्रावधानों के विरूद्ध एक ठेकेदार (श्री तेजपाल सिंह) के साथ 03 पृथक-पृथक अनुबंध कुल धनराशि ₹ 53.25 लाख एवं दूसरे प्रकरण में एक ठेकेदारा (श्री वीरेन्द्र सिंह बिष्ट) के साथ 02 पृथक-पृथक अनुबंध कुल धनराशि ₹ 47.00 लाख के अधिशासी अभियंता स्तर पर गठित किये गये। जिसका विवरण निम्नवत है:-

	Agreements No.	***Cost of Agreement (Amount in Rs.)***
Sh. Tejpal Singh	01/EE/2016-17	1441493.00
	28/EE/2015-16	1516896.00
	29/EE/2015-16	2366654.00
	Total	**5325043.00**
Sh. Virendra Singh Bisht	32/EE/2015-16	1725346.00
	33/EE/2015-16	2974701.00
	Total	**4700047.00**
	G. Total	**10025090.00**

इस सम्बन्ध मे यह भी प्रावधान है कि FHB(Vol-6) के प्रस्तर-368 & 369 द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक के कार्य हेतु विशेष परिस्थितियों में केवल राज्य सरकार अनुमति दे सकती है।

इस सम्बन्ध में इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि मुख्य अभियन्ता के पत्र के परिपालन में कार्य को छोटे-छोटे जॉब बनाकर निविदा की गई और एक ही ठेकेदार के नाम खुलने पर एक ही ठेकेदार के साथ अनुबन्ध बनाये गये। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त कार्य की स्वीकृति एक कार्य की थी और इकाई द्वारा इस कार्य को कई जॉब में बांटा गया। इसके अतिरिक्त उक्त वित्तीय नियम में स्पष्ट प्रावधान है कि विशेष परिस्थितियों में केवल राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्धारित वित्तीय सीमा से अधिक के कार्य कराये जा सकते हैं। जिस हेतु विभाग ने राज्य सरकार से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की थी।

अतः कार्यदायी संस्था द्वारा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के नियम-368 व 369 का उल्लंघन कर ठेकेदारों/फर्मों को ₹ 1.00 करोड़ का अदेय लाभ पहुंचाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-2- रु. 258.95 लाख की धनराशि को अनावश्यक रूप से अवरुद्ध रखा जाना।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पौड़ी की निक्षेप पंजिका भाग तीन का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि बिभिन्न ग्राहक विभागो द्वारा निक्षेप कार्यो के अंतर्गत अपने विभाग हेतु आवश्यक निर्माण कार्यों को कराने हेतु कार्यदाई संस्था के रूप मे विभाग को धनराशि प्रदान की गयी थी। लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि ग्राहक विभागो द्वारा उक्त निर्माण कार्यों हेतु धनराशि 19 माह से लेकर 149 माह की अवधि पूर्व प्रदान की गयी थी परंतु विभाग द्वारा उक्त कार्यों को इतनी अवधि मे भी पूरा न कर अपूर्ण रखा गया था तथा उक्त कार्यों की धनराशि को अवरुद्ध रखा गया था जिससे भविष्य मे न सिर्फ इन निर्माण कार्यों की लागत बढ़ेगी बल्कि संबन्धित विभाग भी इन निर्माण कार्यों के पूर्ण होने से मिलने वाले लाभ से वंचित थे । उल्लेखनीय है कि इन कार्यों मे से काफी कार्य अनारम्भ स्थिति मे थे। इन निक्षेप कार्यों के अंतर्गत 15 विभागो के 68 निर्माण कार्यों (संलग्नक -1) की रु.258.95 लाख की धनराशि विभाग की लापरवाही के चलते लगभग 1.5 वर्ष से लेकर 12.5 वर्ष तक की अवधि से अवरुद्ध रखी गयी थी ।

लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध मे पूंछे जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि पहाड़ों के भौगोलिक स्थिति एवं कभी -कभी संबंधित ग्राहक विभाग द्वारा स्थल उपलब्ध कराने मे देरी होने के कारण कार्यों को पूर्ण करने मे देरी होती है । अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने हेतु आदेश जारी किए गए हैं । इकाई का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ग्राहक विभागों द्वारा 1.5 वर्ष से लेकर 12.5 वर्ष तक की अवधि पूर्व ही धनराशि उपलब्ध करा दी थी जो कि निर्माण कार्यों को करने के लिए पर्याप्त समय से भी अधिक था । इस प्रकार इकाई द्वारा निक्षेप कार्यों के अंतर्गत कुल रु. 258.95 लाख की धनराशि को अनावश्यक रूप से अवरुद्ध रखे जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है ।

<u>संलग्नक -1</u>

धनराशि(रु में)

विभाग का नाम	**कार्य का नाम**	**धनराशि प्राप्ति का माह**	**10/2018 को अवशेष धनराशि**
पर्यटन	मार्गीय सुविधा TRH पोखड़ा	06/2006	362591
	मंदिर सौंदर्यकरण	12/2006	150000
	मुंडेश्वरमहादेव जस्वल्स्यूं सुदृडीकरण/जीपमार्गकल्जीखल	01/2007	201334
	ग्राम जाख में पिडली मंदिर सौंदर्यकरण (थैलीसैण)	04/2012	156475
	ग्राम रीठाइ में हनुमान मंदिर सौंदर्यकरण	05/2013	196639
	उपरोक्त मंदिर हेतु अतिरिक्त धनराशि	05/2013	255000
	जिला पर्यटन अधि० पौड़ी द्वारा अतिरिक्त आवंटन	02/2014	150000
	पीठसैण में वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली पार्क सौंदर्यकरणकार्य	08/2015	139526
	सुंगलाकोटी बाजार में पार्क सौंदर्यकरण (एकेश्वर)	08/2015	80000
	खण्ड्मल्ला के विजयनगर में देवी मंदिर का सौंदर्यकरण	01/2017	184654
	खिर्सू में मिती चित्र स्थापना	01/2017	186600
	पर्यटन कार्यालय पौड़ी की मरम्मत/उच्चीकरण	01/2017	132443
दैवीआपदा	पपड़ियाण चौरीगाओं देवीधारमार्ग अनुरक्षण	05/2008	99669
	इडोली से भैरोंगली पुस्ता(थैलीसैण)	05/2008	106739
	प्रा०वि०बड्सू बड़ोली रास्ते पर क्षतिग्रस्त पुलिया निर्माण	05/2008	101433
	जिला महिला चि० पौड़ी में क्षतिग्रस्त दीवार निर्माण	12/2010	173438
	रा०एलो०चि०बुघाणी में पुस्ता निर्माण	02/2011	251779
	पौड़ी कोटद्वार मोटरमार्ग से दुर्गा भवन होते हुये RTO कार्यालय तक पैदल मार्ग मरम्मत	02/2011	121066
	रा०इ०का०सुमाड़ी के भवन का पुनर्निर्माण	03/2014	135906
ग्राम्य विकास	ग्राम्य विकास विभाग के पूर्ण कार्यों की धनराशि	08/2013	119014
	आवासीय भवन टाइप 4(1 यूनिट) पोखड़ा	08/2013	171128
	आवासीय भवन टाइप 3(2 यूनिट) एकेश्वर	02/2014	357324
	कार्यालय भवन थैलीसैण का निर्माण	02/2014	3882148
	आवासीय भवन टाइप 3(2 यूनिट) कल्जीखाल	03/2015	212168
	वि०ख० पौड़ी में टाइप 4(1 यूनिट) प्रथम तल निर्माण	12/2015	354358
विधायक निधि	विधायक निधि के पूर्ण कार्यों की धनराशि	07/2011	206645
सांसद निधि	सांसद निधि के पूर्ण कार्यों की धनराशि	11/2014	248440

राजस्व	राजस्व विभाग के पूर्ण कार्यों की धनराशि	07/2008	642257
	तहसील भवन चौबटाखाल प्रारम्भिक कार्य	06/2012	269732
	तहसीलचौबटाखालके आवासीय/अनावासीय भवननिर्माण	02/2014	636939
शिक्षा	शिक्षा विभाग के पूर्ण कार्यों की धनराशि	10/2008	883081
	रा०इ०का०एकेश्वर में विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण	07/2010	186095
	रा०उ०मा०वि० रिङ्ग्वाडी में विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण	09/2013	130726
	दुर्गा हाईस्कूल कल्याणखाल में कक्षा कक्ष निर्माण	12/2013	306550
	खण्डशिक्षाअधिकारी(एकेश्वर)नौगाँवखालकार्य०भवननिर्माण	01/2014	225949
	रा०उ०मा०वि० मुसासू में कक्षा कक्ष निर्माण	05/2014	124454
	रा०उ०मा०वि० रिक्साल में कक्षा कक्ष निर्माण	05/2014	11187
	खण्डशिक्षा अधिकारी कल्जीखाल कार्य० भवन निर्माण	05/2014	130003
	रा०उ०मा०वि० देवल में कक्षा कक्ष निर्माण	06/2015	140701
	जू०हा०स्कूल भवन पेलाण का निर्माण	03/2011	422836
	रा०उ०मा०वि० कपरौली वृहद निर्माण	03/2011	89675
	रा०इ०का०रिक्साल में विज्ञान प्रयोगशाला	03/2011	80274
	रा०उ०मा०वि०जाजरी में वृहद निर्माण	03/2011	132187
	रा०उ०मा०वि० अंताखोली में वृहद निर्माण	04/2013	734106
	रा०उ०मा०वि० देवधार में वृहद निर्माण	09/2013	3288733
	रा०प्रा०वि० जयकोटखाल के भवन की मरम्मत	01/2011	144633
स्वास्थ्य	स्वास्थ्य विभाग के पूर्ण कार्यों की धनराशि	12/2009	225386
	रा०एलो०चिकि०पैठाणी में आवा०/अना० भवन निर्माण	01/2013	485614
	रा०एलो०चिकि० चिपलघाट में आवा०/अना० भवननिर्माण	01/2013	125167
	रा०एलो०चिकि० भवन संगलकोटी का निर्माण	01/2013	188933
आयुर्वेदिक एवं यूनानी	रा०आयु०चिकि० कुटखाल	01/2007	257794
	रा०आयु०चिकि० श्रीकोटखाल का निर्माण	09/2009	854421
	रा०आयु०चिकि०भवन डडोली का निर्माण	07/2015	1754212
होम्योपैथिक	रा०होम्यो०चिकि० भवन पैठाणी	09/2009	789312
	रा०होम्यो०चिकि० भवन राघाबल्लमपुरम	03/2016	167235
	रा०होम्यो०चिकि० में आवा० भवन टाइप 3	03/2016	380977
	रा०होम्यो०चिकि० राघाबल्लमपुरम में चारदीवारी निर्माण	04/2017	240871
पशुपालन	पशुपालन विभाग के पूर्ण कार्यों की धनराशि	02/2010	496755
	पशु चिकित्सालय एकेश्वर में चिकित्सालय भवन एवं बाउंड्रीवाल निर्माण	01/2009	155190
	पशु चिकित्सालय भवन संगलाकोटी का निर्माण	01/2011	174388
युवा कल्याण	मिनी स्टेडियम पाबौ का निर्माण	06/2006	239287
	इ० बी०के०देवरानी सहायक अभियंता से मिनी स्टेडियम	12/2015	100086

	ड्डवा देवी के निर्माण के विरुद्ध वसूली		
	श्री शिवदयाल सिंह भण्डारी अपर स०अ० द्वारा जमा मिनी स्टेडियम भूगुखाल में की गई अनियममितता की धनराशि	04/2017	197227
समाज कल्याण	डा०भीमरावअंबेडकर बहुद्देशीय भवन पौड़ी	05/2012	1358465
	बालिका छात्रावास पौड़ी में अनुरक्षण कार्य	04/2017	121261
खाद्यएवं रसद	राजकीय अन्नभण्डार पौड़ी एवंखौलाचौरी अनुरक्षण कार्य	07/2015	97146
	राजकीय अन्न भण्डार बांघाट का अनुरक्षण	03/2016	56473
विविध	रा०पोलिटेक्निकश्रीनगर में आंतरिकमार्गों अनुरक्षण कार्य	04/2014	112065
कुल योग			**258,94,900**

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-3- अनुबंधित समयावधि के अंतर्गत कार्य पूर्ण न किए जाने के परिणामस्वरूप दंडात्मक धनराशि रु. 13.46 लाख की वसूली नहीं किया जाना।

अधिशासी अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग ,पौड़ी के अभिलेखों की नमूना जांच मे पाया गया कि निर्माण कार्यों के अंतर्गत अनुबंध किए गए थे । अनुबंध के साथ संलग्न GPW 9 clause 04 मे समाहित शर्तों के अनुसार शिडयूल A मे दर्शाये माइलस्टोन के अंतर्गत कार्य सम्पन्न किया जाना था तथा विपरीत स्थिति मे विलंब से कार्य किए जाने पर ठेकेदार के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करते हुए दंडात्मक धनराशि अधिरोपित कर वसूले जाने की व्यवस्था की गयी थी ,जिसके अंतर्गत प्रथम माइल स्टोन को प्राप्त न किए जाने की स्थिति मे अनुबंधित धनराशि की 2.5% राशि,द्वितीय माइल स्टोन को प्राप्त न किए जाने की स्थिति मे अनुबंधित धनराशि की 3.5% राशि, तथा तृतीय माइल स्टोन को प्राप्त न किए जाने की स्थिति मे अनुबंधित धनराशि की 4.0% राशि ठेकेदार के बिलो से रोकी जाएगी तथा यदि सम्पूर्ण कार्य चतुर्थ माइल स्टोन की अवधि मे पूरा नहीं किया जाता है तो रोकी गयी सम्पूर्ण धनराशि (अनुबंधित राशि का 10%) जब्त कर ली जाएगी एवं अन्यथा की स्थिति मे ठेकेदार के बिलों से वसूल की जाएगी । लेखा परीक्षा में पाया गया कि-

(1)जनपद पौड़ी के अंतर्गत विकासखंड पौड़ी मे पौड़ी कलेश्वर मोटर मार्ग पर ल्वाली बाज़ार से ल्वाली निगयाना तक मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना था । प्रस्तावित मोटर मार्ग की लंबाई 2.30 किमी थी । कार्य को दो चरणों मे सम्पन्न किया जाना था जिसमे स्टेज -1 के कार्यों के अंतर्गत हिल कटिंग ,ड्रैनेज एवं क्रास ड्रैनेज तथा रिटइनिंग/ब्रेस्ट बॉल के कार्य किए जाने थे । इस कार्य हेतु रु 213.49 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमे से प्रथम चरण के कार्यों हेतु अधीक्षण अभियंता, पौड़ी द्वारा रु. 141.36 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी । कार्यों के सम्पादन हेतु अधिशासी अभियंता स्तर के 3 अनुबंधों का गठन किया गया था। संलग्नक-1 के अनुसार सभी अनुबन्धो के अंतर्गत कार्य माह 08/2016 मे पूर्ण किए जाने थे परंतु उपरोक्त कार्य निर्धारित अवधि से 06 माह से लेकर 1.5 वर्ष की अवधि के विलंब से पूरे किए गए थे। अतः उपरोक्त शर्तानुसार समय से कार्य पूर्ण न करने पर ठेकेदार के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करते हुए अनुबंधित राशि की 10% धनराशि रु. 6.68 लाख की दंडात्मक वसूली की जानी चाहिए थी । परंतु इकाई द्वारा उपरोक्त के संबंध में कोई कार्यवाही किए बिना ठेकेदार को भुगतान किया गया था ।

(2) इसी प्रकार शासनादेश संख्या: 45/XII-2/2015/02(04)/2015 दिनाँक 17 मार्च 2015 द्वारा बड़ोली बिंजोली से चमेली मोटर मार्ग (ल.-2.40 किमी.) के निर्माण हेतु प्राक्कलन लागत ₹360.10 लाख के सापेक्ष ₹222.05 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। कार्यों के सम्पादन हेतु अधिशासी अभियंता स्तर के 4 अनुबंधों का गठन किया गया था। संलग्नक-2 के अनुसार अनुबंध संख्या 01/EE,02/EE एवं 03/EE के अंतर्गत कार्य माह 10/2016 मे पूर्ण किए जाने थे

जबकि अनुबंध संख्या 29/EE के अंतर्गत कार्य माह 07/2016 मे पूर्ण किया जाना था । परंतु उपरोक्त कार्य निर्धारित अवधि से 06 माह से लेकर 02 वर्ष की अवधि के विलंब से पूरे किए गए थे जबकि अनुबंध संख्या 02/EE के अंतर्गत कार्य अपूर्ण था। अतः उपरोक्त शर्तानुसार समय से कार्य पूर्ण न करने पर ठेकेदार के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करते हुए अनुबंधित राशि की 10% धनराशि रु. 6.78 लाख की दंडात्मक वसूली की जानी चाहिए थी । परंतु इकाई द्वारा उपरोक्त के संबंध में कोई कार्यवाही किए बिना ठेकेदार को भुगतान किया गया था ।

लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध मे पूंछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि ठेकेदार के देयकों से रोकी गयी धनराशि एवं जमानती धनराशि से सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित दंडात्मक धनराशि की वसूली कर ली जाएगी । इकाई के उत्तर से स्पष्ट है कि उसके द्वारा लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया गया है तथा धनराशि को वसूल करने का आश्वासन दिया गया है अतः कुल 13.46 लाख(6.78+6.68=13.46लाख) की दंडात्मक धनराशि की वसूली न किए जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है ।

संलग्नक -1

अनुबंध संख्या	अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि/ बिलंब (10/18तक)	अनुबंध की धनराशि	अध्यतन भुगतान की राशि
31/ईई/2015-16	13.08.16	15.1.18/(17माह)	1979906	2532477
32/ईई/2015-16	13.08.16	28.2.17/(06माह)	1725346	1438145
33/ईई/2015-16	13.08.16	28.2.17/(06माह)	2974701	1753153
योग			**6679953**	**5723775**

संलग्नक -2

अनुबन्ध संख्या	अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि/ बिलंब (10/2018)	अनुबंध की धनराशि	अद्दतन भुगतान की राशि
01/EE/2016-17, Dt.12-05-2016	13-10-2016	31-12-2017/ 14 माह	1441493.00	2045461.00
02/EE/2016-17, Dt.16-05-2016	17-10-2016	अपूर्ण/24 माह	1898726.00	1290259.00
03/EE/2016-17, Dt.18-05-2016	19-10-2016	15-12-2017/ 14 माह	1070325.00	1294736.00
29/EE/2015-16, Dt.29-02-2016	28-07-2016	05-01-2017/ 06 माह	2366654.00	1568667.00
योग			**6777198.00**	**6199123.00**

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-04- बिना किसी स्वीकृति के रु. 11.53 लाख का व्यायाधिक्य

सामान्यतः किसी भी निर्माण कार्य को कराये जाने से पूर्व उसका आगणन बनाया जाता है जिसमे कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुसार प्रयुक्त की जाने वाली मदों एवं उनकी मात्रा को दर्शाया जाता है उपरोक्त तथ्यों से संतुष्ट होने के पश्चात ही उच्चाधिकारी द्वारा उसको स्वीकृत किया जाता है । अतः कार्य की मदों एवं मात्रा मे किसी प्रकार का परिवर्तन किए जाने पर सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है । कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पौड़ी के अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि-

(1) जनपद पौड़ी के अंतर्गत विकास खंड पोखरा मे बैजरों -चौबट्टाखाल मुख्य मोटर मार्ग से वीणाधार तक ग्रामीण मोटर मार्ग हेतु निर्माण कार्य किया जाना था । उक्त कार्य की लागत रु 57.85 लाख थी। कार्य दो चरणों मे संपादित किया जाना था जिसमे स्टेज -2 के कार्यों हेतु रु. 18.47लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी । लेखा परीक्षा मे पाया गया कि उक्त कार्य के अंतर्गत निम्नवत दो कार्य अतिरिक्त कार्यों के रूप मे कार्य गए जो कार्य के मूल आगणन मे सम्मलित नहीं थे। इस प्रकार के अतिरिक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए थी परंतु इस प्रकरण मे कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गयी थी। इस प्रकार इन अतिरिक्त कार्यों पर रु. 274604/- का व्यय किया गया था जो किसी भी स्वीकृति के अभाव मे पूर्णतः अनुचित था। विवरण निम्नवत है -

अनुबंध संख्या	मद का नाम	अनुबंधित मात्रा	निष्पादित मात्रा	मद का मूल्य	व्यायाधिक्य धनराशि(रु.)
02/EE	RR Masonry laid dry	---	135.42Cum	1504.70	203766.00
	Construction of embankment	---	1146.25Cum	61.80	70838.00
कुल व्यय					**274604.00**

(2) इसी प्रकार शासनादेश संख्या: 45/XII-2/2015/02(04)/2015 दिनाँक 17 मार्च 2015 द्वारा बड़ोली बिंजोली से चमेली मोटर मार्ग (ल.-2.40 किमी.) के निर्माण हेतु प्राक्कलन लागत ₹360.10 लाख के सापेक्ष ₹222.05 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। लेखा परीक्षा मे पाया गया कि उक्त कार्य के अंतर्गत किए गए 02 अनुबंधों मे विभिन्न मदों मे अनुबंधित मात्रा से काफी अधिक मात्रा मे कार्य कर रु. 5.33 लाख का व्यायाधिक्य किया गया परंतु इस व्यायाधिक्य हेतु सक्षम अधिकारी से किसी प्रकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी थी ,जो पूर्णतः अनुचित था । विवरण निम्नवत है -

Agreemer No.	Item of work	Bond Qty.	Executed Qty.	Excess Qty.	Rate	Amount
14/AE-I/ 2018-19	Earthwork in excavation for Structure	4.05	79.44	75.39 (1861%)	227.10	17121.07
	Cement Plum masonry with 40% plum & 60% 1:3:7	40.50	151.43	110.93 (274%)	4463.40	495124.96
	Providing weep holes in Bric Masonry/Plain reinforced	15.00	135.00	120.00 (800%)	172.90	20748.00
योग						**5,32,994**

(3) इसी प्रकार शासनादेश संख्या: 111/(1)XII-2/2016/01(04)/2016 दिनाँक 04 अगस्त 2016 द्वारा विकास खण्ड पोखड़ा में संगलकोटी - मेवागाँव मुख्य मोटर मार्ग से ग्राम चल्कुडिया तक ग्रामीण मार्ग (ल.-0.165किमी.) के निर्माण हेतु ₹ 33.15 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। लेखा परीक्षा मे पाया गया कि उक्त कार्य के अंतर्गत 01 अनुबंध के अंतर्गत विभिन्न मदों मे अनुबंधित मात्रा से काफी अधिक मात्रा मे कार्य कर रु. 3.45 लाख का व्यायाधिक्य किया गया परंतु इस व्यायाधिक्य हेतु सक्षम अधिकारी से किसी प्रकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी थी, जो पूर्णतः अनुचित था। विवरण निम्नवत है।

Agreement No.	Item of work	Bond Qty.	Executed Qty.	Excess Qty.	Rate	Amount
12/EE/ 2016-17	Cement Plum masonry w 40% plum & 60% 1:3:7	50.63cur	117.28	66.65 (131.7%	4882.30	325405.3
	Providing concrete for pla reinforced cocrete inoper foundation	5.85cum	9.11	3.26 (55.72%	6136.70	20005.64
योग						**345410.9**

लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध मे इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया कि अतिरिक्त कार्य के रूप में व्यय की गयी धनराशि का विचलन पत्र तैयार करके सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी तथा कार्य के अंतिम देयक के साथ विचलन प्रपत्रों पर नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त की जाएगी। इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है । अतः उच्चाधिकारिओ के संज्ञान मे लाये बगैर तथा बिना किसी पूर्व स्वीकृति के उपरोक्त तीनों कार्यों मे रु.11.53 लाख(2.75लाख+5.33लाख+3.45लाख) का व्यायाधिक्य किए जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर-01- रु 99824/- की वसूली न किया जाना ।

1. कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,ग्रामीण निर्माण विभाग पौड़ी के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि श्री शमीम अहमद ,खंडीय लेखाकार 01-01-2016 को वेतन निर्धारण में एक अतिरिक्त अनियमित वेतन वृद्धि प्रदान की गयी थी जिसके परिणामस्वरूप 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत उनका वेतन निर्धारण त्रुटिपूर्ण है जिसका विवरण निम्नवत है-

अवधि	प्रदत्त वेतनमान	वास्तविक वेतनमान	डी ए	आधिक्य भुगतान(रु में)
जनवरी 2016 से जून 2016	36500	35400	0%	6600
जुलाई 2016 से दिसम्बर 2016	37600	36500	2%	6732
जनवरी 2017 से जून 2017	37600	36500	4%	6864
जुलाई 2017 से दिसम्बर 2017	38700	37600	5%	6930
जनवरी 2018 से जून 2018	38700	37600	7%	7062
जुलाई 2018 से अक्टूबर 2018	39900	38700	9%	5232
कुल योग				**39420**

उक्त वेतन निर्धारण हेतु कार्यालय महालेखाकर (ले० एवं ह०) उत्तराखंड देहारादून द्वारा एक वेतन निर्धारण प्रपत्र प्रेषित किया गया था परन्तु उसका अनुपालन नहीं किया गया । इस सम्बन्ध में पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि श्री शमीम अहमद ,खंडीय लेखाकार का वेतन निर्धारण संशोधन किया जा रहा है तथा शीघ्र ही वसूली कर ली जाएगी ,इकाई का उत्तर स्वतः लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है । अतः श्री शमीम अहमद ,खंडीय लेखाकार को वेतन मद में रु 39420/ का अधिक भुगतान की गई धनराशि की वसूली का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

2. कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पौड़ी के निर्माण सम्बन्धी अभिलेखों के नमूना जाँच में पाया गया कि शासनादेश संख्या: 111/(1)XII-2/2016/01(04)/2016 दिनाँक 04 अगस्त 2016 द्वारा विकास खण्ड पोखड़ा में संगलकोटी -मेवागाँव मुख्य मोटर मार्ग से ग्राम चल्कुडिया तक ग्रामीण मार्ग (ल.-0.165किमी.) के निर्माण हेतु ₹ 33.08 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। कार्य के सम्पादन हेतु अनुबंध सं-

12/ईई/2016-17 का गठन ठेकेदार श्री सुशील चन्द्र के साथ किया गया था । जांच में पाया गया कि श्री सुशील चन्द्र द्वारा कार्य अनुबंध में उल्लिखित समय पर पूर्ण नहीं किया गया । श्री सुशील चन्द्र द्वारा कार्य को पूर्ण करने हेतु समय वृद्धि का आवेदन किया गया जिस हेतु अधीक्षण अभियन्ता,ग्रामीण निर्माण विभाग परिमण्डल पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक - 636/ग्रा०नि०वि०/स्था०-एक/समयवृद्धि/2018-19 दिनांक 04-09-2018 द्वारा उक्त कार्य हेतु 20-08-2017 से 17-01-2018 तक (151 दिन)समयवृद्धि 01% अर्थदण्ड के साथ तथा मुख्य अभियन्ता ,ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा अपने पत्रांक- 1852/दो-लेखा-09/समयवृद्धि/ ग्रा०नि०वि०/2018-19/ दिनांक -20 सितंबर 2018 द्वारा उक्त कार्य हेतु 18-01-2018 से 30-04-2018 तक (101 दिन) समयवृद्धि 01% अर्थदण्ड के साथ स्वीकृत की गई।परन्तु वर्तमान तक ठेकेदार से दन्डात्मक धनराशि के रूप में (1%+1%)2%अर्थात रु 60158/- की वसूली नहीं की गई थी। इस सम्बन्ध में पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि अर्थदण्ड की वसूली अंतिम देयक से कर ली जाएगी ।अतः ठेकेदार से रु 60158/- की वसूली न किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

3. जनपद पौड़ी के अंतर्गत विकास खंड पोखरा मे बैजरों -चौबट्टाखाल मुख्य मोटर मार्ग से वीणाधार तक ग्रामीण मोटर मार्ग हेतु निर्माण कार्य किया जाना था । उक्त कार्य की लागत रु 57.85 लाख थी । कार्य दो चरणों मे संपादित किया जाना था जिसमे स्टेज -2 के कार्यों हेतु रु. 18.47लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी । स्टेज -2 के कार्यों के अंतर्गत जी-1,जी-2 डालकर पी॰सी॰ एवं सीलकोट का कार्य किया जाना था । कार्य के सम्पादन हेतु रु. 15,67,850/- धनराशि का एक अनुबंध (02/EE/2017-18) किया गया था जिसके अनुसार कार्य को पूर्ण करने की तिथि 21.11.2017 निर्धारित की गयी थी । कार्य मद "P&Ltack coat with bitumen" के अंतर्गत 246 वर्गमी मात्रा हेतु रु.62.80 प्रति वर्गमी की दर से भुगतान किया गया है जबकि अनुबंध के अनुसार उक्त भुगतान रु. 61.80 प्रति वर्गमी की दर से किया जाना था । अतः ठेकेदार को रु. 246/- का अधिक भुगतान किया गया । इस सम्बन्ध में पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि अधिक की वसूली आगामी देयक से कर ली जाएगी। अतः ठेकेदार से रु 246/- की वसूली न किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तर</u>-02 :- धनराशि रु 2.77 लाख की धनराशि अवरुद्ध रखा जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 6 के नियम 622 के अनुसार तीन वर्षों तक रोकी गई धनराशि का दावा न किये जाने पर अदावाकृत धनराशि को व्यपगत धनराशि के रूप में राजस्व खाते जमा कर दिया जाना चाहिए।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- पौड़ी (गढ़वाल) की निक्षेप पंजिका भाग ii & iv के निरीक्षण में पाया गया कि प्रखण्ड द्वारा धनराशि रु 2,76,930/- संबंधितों द्वारा तीन वर्षो से अधिक समय से दावा न किए जाने के बावजूद राजस्व खाते में जमा किए जाने की कार्यवाही नहीं की गई थी। विवरण:-

क्र. सं.	डिपोजिट पंजिका	**धनराशि के संव्यवहार (Transaction) का माह**	**ठेकेदार/ संबन्धित का नाम** (मै./ श्री / श्रीमती)	**अवशिष्ठ धनराशि(रु) (as on 31.10.2018)**	**मद सं. (Item No.)**	**Final payment month/ yr**
2	**भाग ii**	02/2013	बलबीर सिंह चौहान	2000	95	---
4	---तदैव---	03/2013	कामेश्वर राणा	4000	97	---
5	---तदैव---	03/2013	हेमेन्द्र सिंह नेगी	2000	98	---
6	---तदैव---	03/2013	सुरेन्द्र सिंह नेगी	5650	99	---
7	---तदैव---	03/2013	प्रदीप असवाल	1850	100	---
8	---तदैव---	03/2013	दिगम्बर सिंह रावत	18750	102	08/2015
9	---तदैव---	03/2013	दलजीत सिंह	3800	104	---
10	---तदैव---	03/2013	कैलाश बिष्ट	20600	105	---
11	---तदैव---	03/2013	बिनोद सिंह नेगी	94250	106	09/2014
12	---तदैव---	05/2013	पवन कुमार	1800	108	---
13	---तदैव---	05/2013	कमल सिंह रावत	1500	109	---
14	---तदैव---	05/2013	अनिल सिंह	8800	110	01/2015
15	---तदैव---	06/2013	विनोद सिंह पवार	3700	111	---
16	---तदैव---	06/2013	कैलाश सिंह बिष्ट	14130	112	---
17	---तदैव---	06/2013	बीरेन्द्र सिंह बिष्ट	13050	113	10/2015
19	---तदैव---	09/2013	शंकर सिंह	1650	116	---
20	---तदैव---	09/2013	उत्तराखण्ड इंजी. वर्क्स	3400	117	---
23	**भाग iv**	03/2013	रघुनाथ सिंह रावत	10000	103	06/2015
24	---तदैव---	03/2013	चन्द्र मोहन सिंह रावत	10000	104	---
26	---तदैव---	06/2013	कैलाश सिंह बिष्ट	11000	106	---
27	---तदैव---	06/2013	विनोद सिंह नेगी	15000	107	08/2015
28	---तदैव---	06/2013	सूरज सिंह रावत	1000	108	---
29	---तदैव---	07/2013	रबीन्द्र सिंह चौहान	5000	109	---

30	---तदैव---	07/2013	बिनोद सिंह पवार	3000	110	---
31	---तदैव---	07/2013	सोबन सिंह रावत	1500	111	---
32	---तदैव---	08/2013	बीरेन्द्र सिंह बिष्ट	9000	112	10/2015
33	---तदैव---	09/2013	शंकर सिंह	7500	114	---
34	---तदैव---	09/2013	कैलाश सिंह बिष्ट	3000	115	---
			योग =	**2,76,930/-**		

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर अधिशासी अभियंता ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि "समय समय पर संबन्धित ठेकेदारों को जमानती धनराशि वापस प्राप्त करने हेतु लिखा जाता है किन्तु ठेकेदारों द्वारा विगत 03 वर्षों से अधिक से विभाग में जमा जमानती धनराशि हेतु आवेदन न किए जाने के कारण धनराशि अदावाकृत पड़ी है, जिसे शीघ्र ही राजस्व मद में जमा कर दिया जाएगा।" उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योकि 03 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी लेखापरीक्षा अवधि के माह 10/2018 तक उक्त धनराशि रु 2,76,930/- अवरुद्ध पायी गई।

अतः धनराशि रु 2.77 लाख की धनराशि अवरुद्ध रखे जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
Ss/AIR-72/2006-07	Nil	1,2,3
Ss/ AIR-31/2009-10	Nil	1
Ss/ AIR-18/2010-11	Nil	1,2
Ss/ AIR-66/2011-12	1	1
Ss/ AIR-59/2014-15	Nil	1,2
Ss/ AIR-107/2016-17	Nil	1,2
Ss/ AIR-151/2017-18	1	1,2,3,4

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
Ss/ AIR-72/2006-07	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- nil भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1,2,3	लंबित ऑडिट प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उच्चाधिकारियों के अनुमोदन पश्चात लेखापरीक्षा को प्रेषित कर दी जायेगी।	प्रस्तर यथावत रखा जाता है।	--
Ss/ AIR-31/2009-10	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- nil; भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1	तदैव	तदैव	--
Ss/ AIR-18/2010-11	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- nil; भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1,2	तदैव	तदैव	--
Ss/ AIR-66/2011-12	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- 1; भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1	तदैव	तदैव	---
Ss/ AIR-59/2014-15	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- nil; भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1,2	तदैव	तदैव	---
Ss/ AIR-107/2016-17	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- nil; भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1,2	तदैव	तदैव	---
Ss/ AIR-151/2017-18	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- 1; भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1,2,3,4	तदैव	तदैव	--

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य .....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियंता, कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- पौड़ी (गढ़वाल) तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	**पदनाम**	**अवधि**
श्री अनिल कुमार	अधिशासी अभियंता	विगत लेखापरीक्षा से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी अभियंता, कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- पौड़ी (गढ़वाल) को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195" को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.